भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3110
दिनांक 06 अगस्त, 2026

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी रिफिल की निगरानी

†3110. **श्री ससिकांत सेंथिलः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक उज्ज्वला लाभार्थी द्वारा लिए जाने वाले एलपीजी रिफिल्स की औसत संख्या की निगरानी करती है और यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान रिफिल्स की औसत संख्या के साथ-साथ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उज्ज्वला लाभार्थियों के बीच रिफिल की आवृत्ति वहन क्षमता, राजसहायता या सिलेंडरों की कीमत से प्रभावित होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रदान की गई राजसहायता तथा लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): जी, हाँ। सरकार नियमित रूप से पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) उपभोग रिपोर्ट, सामान्य एलपीजी डेटाबेस प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ समीक्षा के माध्यम से पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की निगरानी करती है। घरों में घरेलू एलपीजी की खपत कई कारकों जैसे खान-पान की आदतें, परिवार का आकार, खाना पकाने का तरीका, परंपरा, स्वाद, पसंद, मूल्य और दूसरे ईंधन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति कनेक्शन खपत का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करने और पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच कम रिफिल खपत के मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें,अन्य बातों के साथ-साथ, पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता में सुधार के लिए अभियान आयोजित करना, घर से बाहर (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना शामिल है। इसके अलावा, पीएमयूवाई लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प दिया गया है जिससे अग्रिम नकद व्यय को कम किया जा सके और 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन का विकल्प दिया जा सके।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष

लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की संख्या के संदर्भ में) वित्त वर्ष 2021-22 में 3.68 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 4.71 हो गई है।

भारत अपनी अधिकांश एलपीजी आवश्यकता का आयात करता है और देश में एलपीजी का मूल्य सऊदी सीपी पर आधारित हैं। अप्रैल और मई 2026 में औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क) 780 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ गया। जून 2026 में, जैसे ही सऊदी सीपी बढ़कर 796 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (प्रीमियम को छोड़कर) हो गया, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) 1,695 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर तक पहुंच गया।

घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य जून 2026 से 942 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर बनाए रखा गया है, जिसमें जून 2026 में 700 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और जुलाई 2026 के दौरान 500 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक की राजसहायता (अल्प-वसूली) की गई थी। अगस्त 2026 माह के लिए भी, आरएसपी पर 188 रुपये प्रति सिलेंडर की अंतर्निहित राजसहायता दी जाती है। 10.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए, 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता के बाद, प्रभावी मूल्य केवल 642 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली) है।

अनुलग्नक – क

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी रिफिल की निगरानी' के संबंध में श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन सालों में प्रति कनेक्शन खपत का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.60	6.06	5.30
आंध्र प्रदेश	3.73	4.42	4.67
अरुणाचल प्रदेश	3.77	4.14	4.21
असम	2.96	3.36	3.74
बिहार	3.82	4.15	4.60
चंडीगढ़	4.88	7.26	7.17
छत्तीसगढ	1.92	2.39	2.57
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.92	4.92	4.79
दिल्ली	6.61	7.57	7.45
गोवा	3.93	4.27	4.67
गुजरात	4.76	5.31	5.65
हरियाणा	6.10	6.76	6.81
हिमाचल प्रदेश	4.08	4.47	4.34
जम्मू और कश्मीर	3.43	4.03	4.30
झारखंड	2.73	3.20	3.80
कर्नाटक	4.76	5.35	5.60
केरल	3.99	4.40	4.79
लद्दाख	2.97	4.54	5.32
लक्षद्वीप	3.82	3.60	4.26
मध्य प्रदेश	3.11	3.50	3.81
महाराष्ट्र	4.62	5.19	5.45
मणिपुर	4.24	4.40	4.60
मेघालय	2.40	2.60	2.97
मिजोरम	4.70	5.37	5.60
नागालैंड	3.23	3.97	4.41
ओडिशा	3.46	4.03	4.44
पुडुचेरी	6.25	6.91	7.05
पंजाब	5.52	5.63	5.54
राजस्थान	4.45	4.93	5.13
सिक्किम	3.62	4.77	5.27
तमिलनाडु	4.38	4.81	5.08
तेलंगाना	3.47	3.67	3.72
त्रिपुरा	2.67	3.20	3.71
उत्तर प्रदेश	4.56	5.08	5.43
उत्तराखंड	4.88	5.04	5.22
पश्चिम बंगाल	3.90	4.78	5.16

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल